भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1237

दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहित करने की नीति

1237. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

श्री आर. गिरिराजन:

श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र के विकास में तेजी लाने और जनता को पौष्टिक डेयरी उत्पाद प्रदान करने में डेयरी फार्मिंग के महत्व को ध्यान में रखते हुए डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीतिगत हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहल किए जाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ग) पशुपालन और डेयरी विभाग ने देश में डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिएनिम्नलिखित नीतिगत हस्तक्षेप शुरू किए हैं:

(i) देशी बोवाईन नस्लों के विकास और सरंक्षण के लिए दिसंबर, 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया जा रहा है। योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बोवाईनों के दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। योजना विभाग की वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक संशोधित और पुनर्गठित योजना के तहत 2400 करोड़ रू. के आबंटन के साथ जारी है।

(ii) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना वर्ष 2014-15 से लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य सहकारी डेयरी क्षेत्र में खरीद, प्रसंस्करण और दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिए डेयरी अवसरंचना का निर्माण करना है। योजना देश में डेयरी सहकारी समितियों के तहत नामित डेयरी किसान सदस्यों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करती है। योजना विभाग की वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक संशोधित और पुनर्गठित योजना के तहत जारी है।

(iii) डेयरी प्रसंस्करण और अवसरंचना विकास निधि (डीआईडीएफ) - यह योजना दुग्ध प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और प्रशीतन सुविधाओं के सृजन/सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से लागू की जा रही है। योजना के तहत, नाबार्ड बाजार से निधियां जुटाता है और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से डेयरी सहकारी समितियों को 2.5 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन के साथ ऋण संवितरित करता है। पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को 2.5 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है।

(iv) राष्ट्रीय पशुधन मिशन गुणवत्तापूर्ण आहार एवं चारे की उपलब्धता को सुधारने और डेयरी पशुओं सहित पशुधन के जोखिम कवरेज पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह योजना चारा क्षेत्र के उद्यमिता विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

(v) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचऔरडीसी) को खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रूसेलोसिस जैसे पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने और साथ ही पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए योजना के तहत मोबाइल पशुचिकित्सा इकाइयां भी स्थापित की जा रही हैं।

(vi) राज्य डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ) योजना के तहत, डेयरी में लगी सहकारी समितियों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन के रूप में एक बारगी सहायता शुरू की गई है।

(vii) भारत सरकार योजना के अन्य घटकों के अलावा डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसरंचना की स्थापना में निवेश को प्रोत्साहित करने को सुविधाजनक बनाने के लिए 15000 करोड़ रू. की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) लागू कर रही है।

(viii) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) - पहली बार भारत सरकार ने पशुपालन और मत्स्यपालकों की कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए केसीसी सुविधा को विस्तारित किया है। इसमें स्वयं के/किराये पर लिए गए/लीज पर लिए गये शेड वाले पट्टेदार किसानों सहित या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता किसान, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह, इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं।

*****